



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 8, सोमवार, शाके 1932-मार्च 29, 2010
Chaitra 8, Monday, Saka 1932-March 29, 2010

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 11, 2010

जी. एस. आर. 146-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 78 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम, 2009 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये इनके राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार समिति" से राज्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या, यथास्थिति, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "जिला प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(च) "राज्य प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य कार्यकारिणी समिति" से अधिनियम की धारा 20 के उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है; और

(ज) "राज्य सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:— (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के लिए "राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" नामक एक राज्य प्राधिकरण की इसके द्वारा स्थापना करती है।

(2) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नी सदस्य ~~राजस्थान सरकार~~ होगा:—

(i) मुख्यमंत्री, राजस्थान;

(ii) प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार;

(iii) प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार;

(iv) प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार;

(v) प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार;

(vi) प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार;

(vii) प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार;

(viii) प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार; और

(ix) प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार।

(3) प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्यमंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(4) जब कभी वांछनीय समझा जाये, राज्य प्राधिकरण उसके कृत में सहायता के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।

(5) मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

(6) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आप

प्रबंधन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(7) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

4. राज्य प्राधिकरण की बैठक:—(1) राज्य प्राधिकरण की बैठक जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष विनिश्चित करे, किन्तु इसकी बैठक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

(2) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी कारण से राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो उपस्थित सदस्य उनमें से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेंगे।

(5) राज्य प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति चार होगी।

5. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति:—राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जितने वह आवश्यक समझे।

6. राज्य कार्यकारिणी समिति—राज्य सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनी राज्य कार्यकारी समिति इसके द्वारा गठित करती है:—

(i) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii) अपर मुख्य सचिव विकास	सदस्य
(iii) प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग	सदस्य
(iv) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(v) प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग	सदस्य सचिव

7. राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य:—(1) राज्य कार्यकारिणी समिति—

- (i) अधिनियम की धारा 22 के अधीन उसे न्यस्त समस्त कृत्यों का पालन करेगी,
- (ii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें,

- (iii) राज्य प्राधिकरण द्वारा लिये गये समस्त विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगी, और
- (iv) नीतिगत निर्णयों के लिए अपेक्षित समस्त ऐसे मामलों को राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

2. राज्य कार्यकारिणी समिति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:—

- (i) आपदा के निवारण, शमन और तैयारी से संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित विभागों को बजट उपबंधों के भीतर व्यय मंजूर करना;
- (ii) आपदा और आपदा के पश्चात् की स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार व्यय मंजूर करना;
- (iii) आपदा की स्थिति को टालने की तैयारी के लिए कदम उठाने के लिए जिला प्राधिकारियों को प्राधिकृत करना;
- (iv) राज्य प्राधिकरण द्वारा लिये गये विनिश्चयों के अनुसार सम्बन्धित विभागों और जिला प्राधिकारियों को निर्देश जारी करना;
- (v) राज्य आपदा प्रबन्धन योजना, जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं को तैयार करने, उनके कार्यान्वयन और उनकी निगरानी के सम्बन्ध में आदेश और अनुदेश जारी करना;
- (vi) प्रकोप या आपदा घटित होने के दौरान कार्मिकों को समनुदेशित कार्य या उन्हें समनुदेशित किये जाने वाले संभावित कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (vii) आपदा के निवारण और शमन के लिए संनिर्माण के सम्बन्ध में मानकों और प्रमाणों का अनुपालन करने के लिए विधियां, उप-विधियां, नियम और विनियम विरचित करने के लिए सिफारिशें करना; और
- (viii) ऐसी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जायें।

8. राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:—

- (1) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए ऐसे क्रियान्वयन की रूपरेखा के बारे में राज्य प्राधिकरण से, जब कभी अपेक्षित हो, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के पास, आपात स्थिति में, राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुसमर्थन के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य कार्यकारिणी समिति की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष एक या अधिक अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए नामनिर्देशित कर सकेगा:-

- (i) राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों के पालन में उसे सहायता करने;
- (ii) राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों से सम्यन्धित समुचित अभिलेखों का रखरखाव करने;
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में लिये गये विनिश्चय का क्रियान्वयन समय पर हो रहा है, और
- (iv) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो अध्यक्ष उनसे निर्वहन करने की वांछा करे।

9. **राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकें:-**(1) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक का दिन, समय और स्थान विनिश्चित करेगा।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु तीन मास में कम से कम एक बार, बैठक करेगी।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति, जब तब कि आपात परिस्थिति न हो, कम से कम तीन दिन पहले उसकी बैठकों का नोटिस देगी और उसकी कार्यसूची परिचालित करेगी। ऐसी परिस्थितियों में राज्य कार्यकारिणी समिति निर्बाध और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र बैठक करेगी।

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

(5) राज्य कार्यकारिणी समिति उसकी बैठकों के कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी।

10. **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण:-**(1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, इसके द्वारा गठित करती है जो (जिले के नाम से) आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

(2) प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा-

- | | |
|---|-----------|
| (i) कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| (ii) प्रमुख, जिला परिषद | सहअध्यक्ष |
| (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य |

- (iv) जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य
- (v) जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य
- (vi) जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य
- (vii) अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन(सहायता अनुभाग का भारसाधक)
- (3) प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगे:-
- (i) जिले से निर्वाचित संसद (लोकसभा) सदस्य।
- (ii) जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
- (iii) जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
- (4) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
- (5) जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।
11. जिला प्राधिकरण का कार्यालय और कर्मचारीवृन्द:-जिला प्राधिकरण का कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर/कलेक्टर के सहायता अनुभाग के भारसाधक अधिकारी के कार्यालय में होगा और समस्त आवश्यक कर्मचारीवृन्द उस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
12. जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य:-जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,-
- (i) अधिनियम की धारा 30, 31, 33 और 34 के अधीन इसे न्यस्त समस्त कृत्यों का पालन करेगा;
- (ii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो, इसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जायें;
- (iii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो वह जिले में आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक समझे;
- (iv) नीतिगत निर्णयों के लिए अपेक्षित ऐसे समस्त मामले राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

13. **सलाहकार समिति**—(1) राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, जब कभी वह आवश्यक समझे, आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश करने के लिए आपदा प्रबन्धन के व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित कर सलाहकार समितियां गठित कर सकेगा।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या और अवधि ऐसी होगी जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(3) सलाहकार समिति के सदस्य को ऐसे भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

14. **निरसन और व्यावृत्तियां**—इन नियमों या इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में समस्त अधिसूचनाएं, आदेश, निर्देश और मार्गदर्शक सिद्धान्त जो इनसे असंगत हैं, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु यह कि ऐसा निरसन पहले से ही अर्जित किसी अधिकार, प्रोद्भूत किसी हक या उपगत किसी दायित्व या की गयी या ग्रसित किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा।

15. **शंकाओं का निराकरण**—यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और विस्तार के सम्बन्ध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो वह आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग को निर्दिष्ट की जायेगी और जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

[संख्या एफ.8(9)आ.प्र. एवं स.आ./आ.प्र./04/303]

राज्यपाल के आदेश से,

ओ. पी. गुप्ता,

शासन उप सचिव,

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।